

**Government of India
Ministry of Corporate Affairs
DIN Cell**

A-14, PDIL Bhawan, Sector-1,
Noida-201301

Reference No: B62882568/2408360
Date: 01-12-2012

To

MR. AMITESH RAIKWAR S/O GORE LAL RAIKWAR
Date of birth: - 02-04-1987
H.NO. E-7/234
LIG -A, ARERA COLONY HUZUR R.S. NAGAR
BHOPAL - 462016 MP INDIA

Sub: - Allotment of Director Identification Number (DIN)

Dear Sir/Madam,

Kindly refer to your application for allotment of a regular Director Identification Number. It is to inform that your application has been approved and **DIN 06440519** is allotted to you on regular basis. Your above-mentioned DIN has been activated. Please mention your DIN at the appropriate place while filling forms and applications with ROC or to any other authority under the Ministry of Corporate Affairs.

You may also kindly note that as per companies (Director Identification Number) Rules, 2006, you are required to intimate your DIN to the company or companies in which you are a director within 30 days of receipt of this letter in Form. No. DIN 2. Further, the company is required to intimate the concerned Registrar of Companies about the DINs allotted to its Directors in Form. No. DIN 3 within 7 days of receipt of the information from the director(s).

Yours faithfully

(P. Sheela)
Joint Director (Inspection)
Authorized Officer
DIN Processing Cell
Ministry of Corporate Affairs

भारत सरकार
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
डीआईएन सैल

ए-१४, पीडीआईएल भवन, सैक्टर-१,
नोएडा - २०१३०१
सन्दर्भ संख्या: ए६२८८२५६८/२४०८३६०
दिनांक: ०१-१२-२०१२


विषय: निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) का आवंटन

प्रिय श्रीमान / श्रीमती,

कृपया नियमित निदेशक पहचान संख्या के आवंटन हेतु अपने आवेदन का संदर्भ ले। यह सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन को अनुमोदित कर दिया गया है एवं आपको डीआईएन ०६४४०५१९ नियमित आधार पर आवंटित किया जाता है। कम्पनी रजिस्ट्रार या कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी को फार्म या आवेदन फाइल करते समय कृपया उचित स्थान पर अपने डीआईएन का उल्लेख करें।

कृपया आप यह भी नोट करें कि कम्पनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम २००६ के अनुसार आप उस कम्पनी या उन कम्पनियों जिसके/जिनके आप निदेशक हैं, को फार्म संख्या डीआईएन - २ में इस पत्र की प्राप्ति के ३० दिनों के अंदर अपने डीआईएन के बारे में अवश्य सूचित कर दें। पुन निदेशक/निदेशकों से सूचना प्राप्ति के ७ दिनों के अंदर कम्पनी द्वारा फार्म संख्या डीआईएन - ३ में अपने निदेशकों को आवंटित डीआईएन के बारे में संबंधित कम्पनी रजिस्ट्रारों को सूचित करना आवश्यक है।

भवदीया,



(पी. शीला)

संयुक्त निदेशक (निरीक्षण)

प्राधिकृत अधिकारी

डिन प्रोसेसिंग प्रकाश

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय